रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-12 REGISTERED No. D. (D.N.)-12

CR 25/7/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316] नई दिल्ली, बुधवार, जून 25, 1986/आषाढ़ 4, 1908
No. 316] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 1986/ASADHA 4, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 25 जून, 1986

अधिसूचना

सं. 369/86—सीमाशुल्क

सा. का. नि. 905(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी में उल्लिखित विनिर्देशों वाली ऐसी स्टेनलेस स्टील की स्ट्रीप को, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 73 के अन्तर्गत आती है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि जब स्टेनलेस स्टील स्ट्रीप का उपयोग विद्युत तापन अवयवों की ट्यूबों के विनिर्माण

के लिए भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उन पर उदग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्य के 60 प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है ।

शर्तें

स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिपों के विनिर्देश

(1) निकैल अंश	30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत
(2) क्रोमियम अंश	19 प्रतिशत से 23 प्रतिशत
(3) चौड़ाई	46 मि.मि. या कम
(4) दीवार की मोटाई	1.2 मि.मि. या कम ।

[फा. स. 355/236/83-सी. शु.-1]
एम. एन. विश्वास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 25th June, 1986

NOTIFICATION

No. 369/86 CUSTOMS

G.S.R. 905(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts stainless steel strips having the specifications mentioned in the Table annexed hereto and falling within Chapter 73 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of 60 per cent *ad valorem*, subject to the condition that the imported stainless steel strips are used in the manufacture of tubes for electrical heating elements.

TABLE

Specifications of stainless steel strips

(i) Nickel content	30 per cent to 35 per cent.
(ii) Chromium content	19 per cent to 23 per cent.
(iii) Width	46 mm or below.
(iv) Wall thickness	1.2 mm or below.

[F. No. 355/236/83-Cus. I]
M.N. BISWAS, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986